मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2013

विषयः– दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में वरिष्ठ श्रम कल्याण अधिकारी से मुख्य कार्मिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.10.2013 का कार्यवाही विवरण ।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :–

1.	प्रो.एन.के. तनेजा सदस्य म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर	अध्यक्ष
2.	श्री राधेश्याम जुलानिया प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
3.	श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
4.	श्री एन.के.परिहार मुख्य कार्मिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य (म.प्र.लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के नियम–11 के प्रावधान अनुसार)

1. **प्राधिकार एवं सिद्धान्त :–**

यह चयन मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1968 सहपठित मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। पदोन्नतियां वरिष्ठता–सह–योग्यता (मैरिट–कम–सीनियरिटी) के सिद्धान्त पर आधारित है।

2. **न्यायालयीन स्थगन :–**

इस चयन के संबंध में कोई न्यायालयीन स्थगन नहीं है।

3. **वरिष्ठता एवं पदक्रम सूची :–**

वरिष्ठ श्रम कल्याण अधिकारी की 01.04.2007 की स्थिति में जारी पदकम सूची को पदोन्नति का आधार बनाया गया है। इस वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन के संबंध में कोई न्यायालयीन स्थगन अथवा ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है जिसके पालन के अभाव में बैठक किया जाना युक्तियुक्त न हो ।

29.10.13

29.10.13

29/10/13

4. **अर्हकारी सेवा :–**

पदोन्नति के लिए वरिष्ठ श्रम कल्याण अधिकारी के पद पर दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में 04 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर ली हो।

5. **विचार क्षेत्र :–**

अर्हतादायी सेवा पूर्ण करने वाला केवल 01 ही अधिकारी उपलब्ध है।

6. **संनिष्ठा प्रमाण पत्र :–**

विचार क्षेत्र में सम्मिलित अधिकारी की संनिष्ठा उनके गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा प्रमाणित की गई है ।

7. पदोन्नति की कसौटियां तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के संदर्भ में वर्गीकरण :–

(i) **न्यूनतम कसौटी :–**

(अ) संनिष्ठा संदेह से परे हो ।

(ब) विगत 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन समग्र रूप से "बहुत अच्छा" श्रेणी से कम का नहीं हो, अर्थात न्यूनतम 13 अंक हों।

(स) अंतिम वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन औसत से कम श्रेणी का न हो।

(ii) **गोपनीय रिकार्ड का समग्र वर्गीकरण :–**

(अ) विगत 05 वर्षों का समग्र मूल्यांकन "बहुत अच्छी" श्रेणी से कम नहीं हो।

(ब) जिन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है उन मामलों में विचार के लिए पूर्व के वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन देखकर समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया।

8. **रिक्तियों की गणना :–**

मुख्य कार्मिक अधिकारी का 01 पद स्वीकृत है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक सी–3–7/2002/3/एक दिनांक 06.07.2002 के तहत एकाकी पद पर आरक्षण एवं रोस्टर लागू नहीं होगा।

29.10.13

29.10.13

29/10/13

9. **पदोन्नति समिति की अनुशंसाएं:–**

कंडिका 7 में निर्धारित किये गये मापदण्डों के आधार पर समिति की अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :–

(i) <u>अनारक्षित वर्ग</u>

(अ) <u>पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अधिकारी</u>

स.क्र.	दि.01.04.2007 की स्थिति में पदक्रम क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	01	श्री महेश कुमार दुबे

(ब) परिभ्रमण : निरंक

(स) <u>बन्द लिफाफे की अनुशंसा :</u> निरंक

(प्रो.एन.के.तनेजा)	(राधेश्याम जुलानिया)	(एम.जी.चौबे)	(एन.के परिहार)
सदस्य	प्रमुख सचिव	प्रमुख अभियंता	मुख्य कार्मिक अधिकारी,
लोक सेवा आयोग	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन विभाग	कार्यालय प्रमुख अभियंता,
अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	जल संसाधन विभाग
			सदस्य